कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com
फोन न0–01334–265700

पत्रांक: न–10(2)/सीएफओ–एच/2021

दिनांक: मई 06, 2021।

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
पुलिस मॉडर्न स्कूल,
पुलिस लाईन रोशनाबाद,
जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बर–63919204, दिनाक: 06.05.2021 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा मे है तथा नवीनीकरण जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणो को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रो का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा मे यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06 मई 2021 से 05 मई 2022 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक/कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा मे रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रो की स्थापना का अर्थ यह नही लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान मे विद्युत यन्त्रो की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change मे बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. शिक्षण संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कर्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नही किया जा सकता।
7. अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में समय–समय पर मौक ड्रिल का आयोजन किया जाये, जिससे शिक्षण संस्थान मे उपलब्ध अग्नि–निरोधक व्यवस्थाओं पर विश्वास बना रहें।
8. संस्थान मे अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति मे रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PRINCIPAL
POLICE MODERN SCHOOL
Police Line, Roshnabad
Haridwar